ताल-बेताला

शशिकांत गुप्ते, मोबाइल नं. 78984-88217

बनना है विश्व गुरु?

गुरु बनने के पूर्व एक योग्य शिष्य बनना जरूरी है। गुरु बनने के पूर्व शिष्य को सदहृदय सीखना भी जरूरी है। गुरु बनने के लिए देश-काल और स्थिति के अनुसार स्वयं को ह्वश्वस्न्द्वह्लद्व कर लेना भी जरूरी है। इन दिनों शिक्षा के क्षेत्र में विद्याध्ययन के लिए पाठ शाला या महाविद्यालय से ज्यादा अहमियत कोचिंग क्लासेस की हो गई है। कोचिंग क्लासेस के प्रचलन ने शिक्षा को उद्योग का स्वरूप दे दिया है। शिक्षा का उद्योग होने से विद्यार्थी पढ़ लिख तो रहें हैं,लेकिन शिक्षित नहीं हो रहें हैं? बहरहाल मुख्य प्रश्न है अपने देश को विश्व गुरु बनना है?

विश्व गुरु भी धर्म की राह पर चल कर बनना है?

Charity begins at home का हिंदी अर्थ है 'दान घर से शुरू होता है' या 'परोपकार अपने घर से ही प्रारंभ होता है '। इसका मतलब है कि दूसरों की मदद करने से पहले, हमें अपने परिवार और करीबियों, ज़रूरतों की देखभाल को प्राथमिकता देनी चाहिए, और अपने घरेलू दायित्वों को निभाते आना चाहिए।

कहने का तात्पर्य सर्वप्रथम हम स्वयं धर्म का पालन करें। धर्म मतलब आचरण की शुद्धता को अंगीकृत करें। धर्म की राह पर चलने वाला व्यक्ति स्वयं सर्वधर्मसमभाव को सिद्धांत रूप में ग्रहण करता है। गांधीजी ने सर्वधर्म समभाव का मतलब समझाते हुए कहा है कि सभी धर्मों का मूल एक है, (Eqality of all Religion) हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए।

गांधीजी ने यह भी कहा है कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है (Service to Humanity is Service to God) गांधीजी ने सिर्फ कहा नहीं स्वयं आचरण भी किया।

दुर्भाग्य से सत्य और अहिंसा के पुजारी गांधीजी की निर्मम हत्या की गई।

अहम सवाल यह है कि क्या धर्म के नाम पर हिंसा,छुआ छूत,नीच ऊंच करना उचित है? क्या धर्म के आवरण को ओढ़ कर हिंसा कर विधर्मियों के आराधना स्थल पर हिंसक कृत्य करना धार्मिक होने का प्रमाण हो सकता है? गांधीजी ने कहा है कि धर्म का पालन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका सत्य की साधना है।

अहिंसा (Non- violence) अर्थात अहिंसक कर्म ही सत्य की कटौती है। बगैर अहिंसा धर्म का पालन हो ही नहीं सकता है। क्या उपर्युक्त आचरण करने की हमारी मानसिकता है? क्या हम अपने देश में धार्मिक सद्भाव रखतें है? उक्त प्रश्नों के जवाब यदि हम प्रामाणिकता से दे पाएंगे तो ही विश्व गुरु बनने की सोच सकते हैं।

धर्म के नाम पर हिंसा करना,
समाज में आतंक फैलना अधर्म है।

युग निर्माण योजना द्वारा प्रसारित और प्रचारित निम्न स्लोगन एकदम सटीक है। *हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा।

1915 में बने आबकारी अधिनियम को बदलने की तैयारी

अधिनियम में संशोधन संबंधी प्रस्ताव मंजूरी के लिए रखा जाएगा कैबिनेट में

भोपाल । अंग्रेजों के जमाने के आबकारी अधिनियम को बदलने की तैयारी की जा रही है। उप मुख्यमंत्री और वित्त व वाणिज्यिक कर विभाग के मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि वर्ष 1915 में बने आबकारी अधिनियम के कोई प्रावधान अगर आज की स्थिति में अव्यावहारिक है तो उसमें संशोधन किया जाएगा।

यह बदलाव आज के समय के हिसाब से किया जाएगा जो समयानुकूल हो। अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। वहीं सरकार द्वारा जो नई आबकारी नीति बनाई जा रही है उसमें न कोई शराब दुकान बंद करने का प्रस्ताव है और न ही नई शराब दुकान खोला जाना प्रस्तावित है। आबकारी नीति 2025-26 में प्रदेश के 17 धार्मिक नगरों में शराब दुकानों को बंद करने का निर्णय लिया गया था। इससे इन शहरों की 47 शराब दुकानें बंद हो गई थीं। नई नीति में पूर्व की तरह नर्मदा किनारे 5 किलोमीटर की परिधि में शराब दुकानें नहीं खोले जाने और धार्मिक व शैक्षणिक स्थलों से शराब दुकानों की दूरी पूर्व की तरह 100 मीटर निर्धारित रखा जाना प्रस्तावित किया गया है। मप्र में शराब दुकानों की कुल संख्या 3,558 है। ये सभी कंपोजिट दुकानें हैं। मप्र में में ई-टेंडर के जरिए शराब दुकानें नीलाम होती हैं। मप्र सरकार 111 साल पुराने आबकारी अधिनियम में संशोधन करने जा रही है। आबकारी विभाग ने इस दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके लिए विभागीय अधिकारियों की एक विशेष टीम बनाई गई है, जो जल्द ही अधिनियम में संशोधन कर फायनल रिपोर्ट आबकारी विभाग को सौंपेगी। वरिष्ठ अधिकारी रिपोर्ट का अध्ययन कर इस पर अंतिम निर्णय लेंगे। इसके बाद अधिनियम में संशोधन संबंधी प्रस्ताव मंजूरी के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक राज्य में मप्र आबकारी अधिनियम-1915 लागू है। यह अधिनियम अंग्रेजी शासनकाल में तैयार किया गया था। इसमें कई ऐसी अव्यावहारिक कडिकाएं हैं, जो वक्त के साथ अप्रासंगिक हो गई हैं। इनमें वे कंडिकाएं शामिल हैं, जिनसे सरकार को पिछले कई वर्षों से कोई राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा है। इन कंडिकाओं को अधिनियम से विलोपित किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर ताड़ी और डोडा चूरा से अब सरकार को राजस्व प्राप्त नहीं होता, ऐसी कंडिकाओं को विलोपित किया जाएगा।

समय-समय पर होते रहते हैं संशोधन

मप्र आबकारी अधिनियम-1915 प्रदेश में शराब (मादक पदार्थों) के उत्पादन, बिक्री, भंडारण और उपभोग को नियंत्रित करने वाला मुख्य कानून है, जिसमें जहरीली शराब से जुड़े अपराधों के लिए सख्त दंड (जैसे आजीवन कारावास/मृत्युदंड), बिना वारंट गिरफ्तारी के अधिकार (धारा 54-ए), और महुआ जैसी पारंपरिक शराब के लिए नियम शामिल हैं और इसमें समय-समय पर संशोधन होते रहते हैं। 2021 के संशोधन के बाद जहरीली शराब से मौत होने पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास और भारी जुर्माने (न्यूनतम 20 लाख रुपए) का प्रावधान है। महुआ से बनी शराब को हेरिटेज शराब का दर्जा दिया गया है। अधिनियम में शराब से संबंधित विभिन्न उल्लंघनों (जैसे बिना लायसेंस बिक्री, निर्धारित सीमा से अधिक कब्जा) के लिए जुर्माने और कारावास का प्रावधान है। यह अधिनियम मप्र सरकार को आबकारी राजस्व बढ़ाने और मादक पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए शक्तियां देता है।

नई आबकारी नीति अंतिम चरण में

आबकारी नीति 2026-27 का ड्राफ्ट तैयार करने का काम अंतिम चरण में है। ड्राफ्ट फाइनल होने के बाद जल्द ही इसे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के समक्ष रखा जाएगा। इस पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री लेंगे। इसके बाद इसे कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। नई आबकारी नीति 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगी। नई आबकारी नीति में शराब दुकानों की बिक्री से करीब 21 हजार करोड़ के राजस्व की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। पिछली बार शराब दुकानों की बिक्री से 18 हजार करोड़ राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था। साथ ही नीति में शॉपिंग मॉल में महंगी शराब के काउंटर खोला जाना भी प्रस्तावित किया गया है। इस संबंध में प्रस्ताव को हरी झंडी देने या नहीं देने को लेकर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री डॉ. यादव लेंगे। नई आबकारी नीति में शराब दुकानों के चालू वित्त वर्ष के मूल्य में 10 से 15 प्रतिशत की वृद्धि करके ही दुकानों के आवंटन की कार्रवाई किया जाना प्रस्तावित है। सबसे पहले नवीनीकरण के जरिए दुकानें आवंटित होंगी। फिर लॉटरी के जरिए और इसके बाद ई-टेंडर के माध्यम से शराब दुकानों का ठेका दिया जाएगा।उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध रूप से शराब बेचे जाने पर कड़ी निगरानी के निर्देश दिए। संबंधित जिलों के अधिकारियों से कहा कि किसी भी परिस्थिति में अवैध शराब का कारोबार नहीं होना चाहिए, दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। हाल ही में भोपाल, धार, ग्वालियर एवं रायसेन में की गई शराब जब्ती की कार्रवाई का उल्लेख करते हुए बिना परमिट शराब के परिवहन पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए गए।

21 फरवरी के बाद होगी बड़ी प्रशासनिक सर्जरी

कुछ संभागायुक्त के साथ बदलेंगे कई जिलों के कलेक्टर

भोपाल । सरकार ने 18 जनवरी को 29 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। इसके बाद प्रदेश में एक और प्रशासनिक सर्जरी की जाएगी। इसमें कुछ संभागायुक्त के साथ दर्जनभर जिलों के कलेक्टर बदले जाएंगे। गौरतलब है कि 21 जनवरी को मुख्य सचिव अनुराग जैन कलेक्टर-कमिश्नर कॉफ्रेंस करने जा रहे हैं।

इस बैठक के बाद मैदानी अधिकारियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार की जाएगी। 21 फरवरी को चुनाव आयोग का तबादलों पर लगा अघोषित प्रतिबंध खत्म होने वाला है। इसके बाद बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल की संभावना जताई जा रही है। इसमें मंत्रालय और विभागध्यक्ष स्तर पर भी अधिकारियों के तबादले होंगे। जिसमें आयुक्त महिला बाल विकास निधि निवेदिता से अन्य विभाग वापस लिए जाएंगे। 2010 बैच सचिव पदोन्नत हो गया है। इस बैच के अधिकारी भी प्रभावित होंगे। सूत्रों का कहना है कि मुख्य सचिव की कलेक्टर-कमिश्नर कॉफ्रेंस के बाद अधिकारियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार की जाएगी। उस रिपोर्ट के बाद प्रदेश सरकार बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करेगी। जिसमें एक दर्जन करीब जिलों के जिलाधीश भी बदले जा सकते हैं। इस फेरबदल में भोपाल जिलाधीश कौशलेंद्र विक्रम सिंह, धार के प्रियंक मिश्रा से लेकर रीवा, ग्वालियर, मैहर, नर्मदापुरम, झाबुआ जिले की महिला जिलाधीश को बदले जाने की संभावना है। साथ ही 2017 बैच के आईएएस अधिकारियों को कलेक्टर बनाने का सिलसिला शुरू होगा। जिसमें मुख्य सचिव कार्यालय में पदस्थ दो अधिकारी गुरुप्रसाद और डीके नागेन्द्र को इस साल कलेक्टरी मिलना तय है। मंत्रालय सूत्रों के अनुसार मैदानी अधिकारियों की पदस्थापना को लेकर शासन स्तर पर मंथन हो चुका है। तबादलों में तीन संभागायुक्त भोपाल, ग्वालियर, रीवा को बदला जा सकता है। भोपाल कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह सचिव पदोन्नत हो गए हैं। उन्हें भोपाल संभागायुक्त बनाया जा सकता है या फिर मुख्यमंत्री कार्यालय में वापसी हो सकती हैं।

2017 बैच को मिलेगी कलेक्टरी

2017 बैच के कलेक्टर बनने वाले अधिकारियों में सिसोनिया का भी नाम था। इसी बैच के गुरुप्रसाद, डीके नागेन्द्र, सुश्री अंजु अरुण कुमार, अभिलाश मिश्रा, कुमार सत्यम, सौरभ सोनवाने, योगेश तुकारात और राहुल नामदेव को इस साल कलेक्टरी मिल सकती है। इंदौर दूषित पानी मामले में सरकार ने आईएएस रोहित सिसोनिया को निलंबित किया है। वहीं 17 जिलों में पदस्थ महिला कलेक्टरों में से कुछ को टिया जा सकता है। अस समय रुचिका चौहान ग्वालियर, ऊषा परमार पन्ना, प्रतिभा पाल रीवा, रजनी सिंह नरसिंहपुर, सोनिया मीणा नर्मदापुरम, शीतला पटने सिवनी, नेहा मीणा झाबुआ, रिजु बाफना शाजापुर, भव्या मिसल खरगोन, रानी बातड़ मैहर, नीतु माथुर आलीराजपुर, अंजु पवन भदौरिया डिंडौरी, जमुना भिंडे निवाड़ी, अदिति गर्ग मंदसौर, जयति सिंह बड़वानी, प्रीति यादव आगर-मालवा और मिशा सिंह रतलाम कलेक्टर हैं। इनमें से रुचिका चौहान, प्रतिभा पाल, सोनिया मीणा, नेहा मीणा, जमुना भिड़े को बदला जा सकता है।

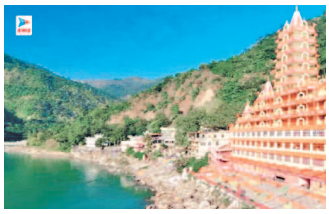

वक्फ बोर्ड ने कहा- गंगा घाटों पर न जाएं मुसलमान

देहरादून (एजेंसी)। उत्तराखंड के हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा घाटों पर गैर-हिंदुओं के प्रवेश को लेकर चल रहे विवाद के बीच उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हाजी शादाब शम्स का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिन मुसलमानों की आस्था गंगा और कुंभ में नहीं है, उन्हें वहां जाने से बचना चाहिए। यह बयान ऐसे समय में आया है जब कई संतों और स्थानीय संगठनों द्वारा कुंभ क्षेत्र व गंगा घाटों पर गैर-हिंदुओं की नो एंट्री की मांग की जा रही है और हरिद्वार में दुकानदारों के पहचान पत्र जांचने के मामले भी सामने आए हैं। भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए शम्स ने सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रुख का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ लगातार साजिशें रची जा रही हैं और ऐसे बड़े धार्मिक आयोजनों में कुछ तत्व नकारात्मक हरकतें कर सकते हैं। शम्स के मुताबिक, सुरक्षा एजेंसियों से भी इस संबंध में महत्वपूर्ण इनपुट मिले हैं। उन्होंने सुरक्षा के लिहाज से पहचान पत्र की जांच और सत्यापन प्रक्रिया को सही ठहराया। शादाब शम्स ने सुरक्षा और सांप्रदायिक सद्भाव पर जोर देते हुए कहा, यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति, जिसकी गंगा या कुंभ में आस्था नहीं है, वहां जाता है और किसी कारणवश कोई अनहोनी हो जाती है, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इससे देश में गलत भावनाएं फैल सकती हैं और दंगों की स्थिति बन सकती है, जिसे हर हाल में टाला जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जिनकी सच्ची आस्था है, उनका हमेशा स्वागत है, क्योंकि हम अतिथि देवो भवः के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि जो लोग आस्था नहीं रखते, उन्हें बेवजह विवाद पैदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।

ग्रीनलैंड के पिटफिक बेस पर अमेरिकी विमानों की तैनाती, डेनमार्क ने भी बढ़ाई चौकसी

कोपेनहेगन। ग्रीनलैंड की संप्रभुता को लेकर वैश्विक स्तर पर जारी राजनीतिक तनाव के बीच आर्कटिक क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां तेज हो गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड पर नियंत्रण की इच्छा जताने और हालिया धमकियों के बाद उत्तर अमेरिकी एयरोस्पेस डिफेंस कमांड (नोराड) ने सोमवार को घोषणा की है कि उसके सैन्य विमान जल्द ही ग्रीनलैंड के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पिटफिक स्पेस बेस पर तैनात किए जाएंगे। जिसे पहले थुले एयर फोर्स बेस के नाम से जाना जाता था, यह बेस उत्तर-पश्चिमी ग्रीनलैंड में स्थित है और अमेरिका की मिसाइल चेतावनी प्रणाली का एक अहम केंद्र है। नोराड के अधिकारियों के अनुसार, यह तैनाती नियमित सैन्य गतिविधियों का हिस्सा है और इसका उद्देश्य उत्तरी अमेरिका की हवाई सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ करना है। बयान में स्पष्ट किया गया है कि यह कदम अमेरिका, कनाडा और डेनमार्क के बीच मौजूदा रक्षा समझौतों के तहत उठाया गया है और इसके लिए कोपेनहेगन (डेनमार्क) से आवश्यक कूटनीतिक मंजूरी ले ली गई है। साथ ही, ग्रीनलैंड के स्थानीय प्रशासन को भी इस सैन्य आवाजाही की सूचना दे दी गई है। इस बीच, डेनमार्क ने भी द्वीप पर अपनी सैन्य उपस्थिति को व्यापक स्तर पर बढ़ा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, डेनमार्क के अतिरिक्त सैनिकों और भारी सैन्य उपकरणों को लेकर कई विमान ग्रीनलैंड की राजधानी नूक और कांगेरलुसुआक पहुंचे हैं।

लियाकत अली की 4 हजार करोड़ की संपत्ति का मालिक कौन.........सीबीआई और केंद्र के जबाव का इंतजार

करनाल। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री रहे नवाब लियाकत अली खान की 4 हजार करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के मामले में हरियाणा सरकार ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। इसमें कहा गया है कि इस जमीन का कस्टोडियन केंद्र के पास नहीं है। याचिकाकर्ताओं के वकीलों का कहना है कि सरकार की तरफ से जो रिप्लाई हाईकोर्ट में दिया गया है, वह नकारात्मक है। हालांकि, मामले में अभी केंद्र और सीबीआई का रिप्लाई नहीं आया है। इसकारण हाईकोर्ट में अगली सुनवाई अब 3 फरवरी को होगी। इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि भूमाफिया फर्जी वारिस खड़े कर जमीन खुर्द-बुर्द कर रहा है।

इस साल गणतंत्र दिवस परेड में भारत में बने हथियार होंगे आकर्षण का केंद्र

नई दिल्ली (एजेंसी)। इस साल गणतंत्र दिवस परेड में सेना की नवगठित 'भैरव' लाइट कमांडो बटालियन, 'शक्तिबाण' तोपखाना रेजिमेंट और लद्दाख स्काउट्स माउंटेन इन्फैंट्री रेजिमेंट प्रमुख आकर्षण होंगे। यही नहीं, वायुसेना के फ्रांसीसी मूल के दसॉ राफेल और स्वदेशी रूप से निर्मित रूसी मूल के

सुखोई एसयू-30एमकेआई लड़ाकू विमान भी उड़ान भरेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी और कहा कि इनमें कई उपकरण और रेजिमेंट को पहली बार युद्ध की तैयारी जैसी संचालन के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। इस साल के गणतंत्र दिवस की थीम 'वंदे मातरम के 150 वर्ष' है।

कार्टून कोना...

अब नोबेल नहीं ग्रीनलैंड लूंगा, नार्वे ने कहा- कितनी बार बताएं ये अवार्ड सरकार नहीं देती:ट्रम्प

ओस्लो (एजेंसी)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गाहर स्टोरे के बीच नोबेल शांति पुरस्कार और ग्रीनलैंड के मुद्दे पर तीखी जुबानी जंग छिड़ गई है। विवाद की शुरुआत तब हुई जब ट्रंप ने नोबेल शांति पुरस्कार न मिल पाने का अपना पुराना दर्द साझा करते हुए नॉर्वे की सरकार को निशाने पर लिया। इसके जवाब में प्रधानमंत्री स्टोरे ने स्पष्ट किया कि नोबेल शांति पुरस्कार देने का निर्णय नॉर्वे की सरकार नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र समिति करती है और इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इस कूटनीतिक विवाद की पृष्ठभूमि में ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण की ट्रंप की महत्वाकांक्षा और यूरोपीय देशों पर प्रस्तावित टैरिफ (आयात शुल्क) में बढ़ोतरी का मुद्दा शामिल है। प्रधानमंत्री स्टोरे के अनुसार, हाल ही में उन्होंने और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने ट्रंप को एक संयुक्त संदेश भेजकर अमेरिकी टैरिफ नीतियों का विरोध किया था। इसके जवाब में ट्रंप ने एक ऐसा टेक्स्ट मैसेज भेजा जिसे बाद में उन्होंने अन्य नाटो नेताओं के साथ भी साझा किया। इस मैसेज में ट्रंप ने नाराजगी जताते हुए कहा कि चूंकि उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, इसलिए अब वे शांति के लिए बाध्य नहीं महसूस करते और

ग्रीनलैंड पर पूर्ण नियंत्रण चाहते हैं। ट्रंप के इस रवैये पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री स्टोरे ने दो टूक शब्दों में कहा कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और नॉर्वे इस मुद्दे पर पूरी तरह से डेनमार्क के संप्रभु अधिकारों के साथ खड़ा है। उन्होंने आर्कटिक क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता के लिए नाटो के प्रयासों का समर्थन तो किया, लेकिन इसे जिम्मेदारी और संतुलन के साथ करने की बात भी कही। स्टोरे ने फिर दोहराया कि राष्ट्रपति ट्रंप को यह समझना चाहिए कि नोबेल समिति एक स्वायत्त निकाय है और सरकार के पास पुरस्कार विजेताओं को चुनने का अधिकार नहीं है। दरअसल, नोबेल पुरस्कार का यह मुद्दा हाल ही में तब फिर से गरमा गया जब वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरीना मचाडो ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को समर्पित करने की घोषणा की। मेडल मिलते ही ट्रंप का पुराना गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने नॉर्वे को टैरिफ वाले देशों की सूची में डाल दिया। ट्रंप का मानना है कि उनके पिछले कार्यकाल में किए गए कूटनीतिक प्रयासों के बावजूद उन्हें इस सम्मान से वंचित रखा गया। वर्तमान स्थिति यह है कि ट्रंप ने न केवल नॉर्वे को आर्थिक कार्रवाई की धमकी दी है, बल्कि ग्रीनलैंड के मसले पर अपने आक्रामक रुख को नोबेल शांति पुरस्कार के साथ जोड़कर एक नया वैश्विक विवाद खड़ा कर दिया है। नॉर्डिक देशों के नेताओं ने इस व्यवहार पर चिंता जताई है और वे आने वाले समय में सामूहिक रूप से अमेरिकी दबाव का सामना करने की रणनीति बना रहे हैं। फिलहाल, ट्रंप के इस टैरिफ और ग्रीनलैंड वाले दांव ने अमेरिका और उसके पारंपरिक यूरोपीय सहयोगियों के बीच दरार को और गहरा कर दिया है।

स्वामी मेसर्स एसोसिएटेड प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स (एम.पी.) प्रा.लि. इंदौर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशके मोनिका सेठ द्वारा 17, न्यू देवास रोड (संजय गांधी मार्ग) इंदौर से मुद्रित एवं 5, प्रेस कॉम्प्लेक्स, इंदौर से प्रकाशित संपादक-मोनिका सेठ, फोन नं. 3551753, 2434701, 2544433, फैक्स - (0731) - 2434701, समाचार पत्र से प्रकाशित समाचार के लिए सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा। समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार*